[27/7/2017] 280

मध्यप्रदेश शासन

प्रश्न सं. [क्र. 233]

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आ दे श ::

भोपाल,दिनांक 15/11/2016

क्रमांक-एफ-6-8/2011/लोसेप्र/61- राज्य शासन एतद् द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संचालित लोक सेवा केन्द्रों के नवीनीकरण एवं सेवा शर्तों के संशोधन विषयक निम्नानुसार नवीन निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. प्रदेश में संचालित सभी लोक सेवा केन्द्रों को A एवं B दो वर्गों में विभाजित करते हुए स्टाफ एवं व्ही.जी.एफ की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी -

क्र.	औसत प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	लोक सेवा केन्द्रों का वर्ग	न्यूनतम काउंटर की संख्या	न्यूनतम स्टाफ की संख्या	आवेदन पत्रों की संख्या जिस पर VGF प्रस्तावित है	VGF की राशि रू प्रतिमाह
1.	1000 से अधिक	A	03	05	2000	50,000
2.	1000 से कम	B	02	03	1000	25,000

2. प्रदेश में कार्यरत ऐसे लोक सेवा केन्द्रों के अनुबंध में जिनका कार्य विगत 03 वर्षों में संतोषजनक रहा है तथा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा उनके निरंतर करने की अनुशंसा की गयी है, उपरोक्त कंडिका 01 में वर्णित संशोधन को समावेश करते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही आगामी 03 वर्षों के लिए की जाये|
3. ऐसे लोक सेवा लोक सेवा केंद्र जिनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है अथवा जिनका अनुबंध जिला ई- गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है, के लिए नवीन आर.एफ.पी में कंडिका 01 अनुसार संशोधन का समावेश करते हुए, पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर नवीन टेंडर जारी कर केंद्र संचालक का चयन आगामी 03 वर्षों के लिए करने की कार्यवाही की जाये|
4. भविष्य में लोक सेवा केन्द्रों की इकाई तहसील/विकासखण्ड को माना जायेगा साथ ही नवीन तहसील विकासखण्ड की स्थापना के साथ ही लोक सेवा केंद्र की स्वीकृति भी दी जाएगी|
5. प्रदेश की ऐसे तहसील मुख्यालय जहाँ लोक सेवा केंद्र का अभाव है अर्थात वर्तमान में लोक सेवा केंद्र नहीं है, नवीन लोक सेवा केंद्र खोलने की स्वीकृति दी जाती है | इन केन्द्रों के लिए भवन, फर्नीचर, बिजली, इन्टरनेट इत्यादि की व्यवस्था पूर्व में स्थापित 336 लोक सेवा केन्द्रों की भांति ही की जाएगी|
6. इन नवीन स्थापित लोक सेवा केन्द्रों के लिए भवन की तात्कालिक व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय तौर पर की जावेगी| फर्नीचर, बिजली, इन्टरनेट इत्यादि के लिए व्यय जिला ई- गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा वहन किया जायेगा|

7. इन नवीन लोक सेवा केन्द्रों में संचालकों का चयन नवीन आर.एफ.पी जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा|
8. लोक सेवा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर एम.पी ऑनलाइन कियोस्क को लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओ को देने हेतु अधिकृत किया जायेगा| इन कियोस्क को व्ही.जी.एफ की पात्रता नहीं होगी | इस हेतु दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे|
9. लोक सेवा केन्द्रों को लोक सेवा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश अनुसार एम.पी ऑनलाइन की चयनित सेवाएं देने हेतु अधिकृत किया जायेगा, जिसके लिए दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे|
10. भविष्य में लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का डिजिटाईजेशन कार्य लोक सेवा केंद्र के माध्यम से कराया जायेगा| इस कार्य हेतु किये गए भुगतान की राशि को व्ही.जी.एफ की गणना में लिया जाये|
11. वर्तमान लोक सेवा केन्द्रों के अनुबंध की अवधि आगामी 06 माह अथवा अनुबंध नवीनीकरण/नवीन केंद्र संचालक के चयन दिनांक तक जो भी पहले हो, बढाई जाती है|

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हरिरंजन राव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक-एफ-6-8/2011/लोसेप्र/61 भोपाल,दिनांक 15/1/2016

प्रतिलिपि :-

1. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
3. समस्त सचिव, जिला ई-गर्वेनेंस सोसायटी, मध्यप्रदेश,
4. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र.,भोपाल,
5. समस्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) मध्य प्रदेश,
6. समस्त लोक सेवा केन्द्र संचालक, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग